

कार्यालय नगर पंचायत, रामपुर कारखाना, देवरिया।

पत्रांक — /नि०/को० सूचना-2016-17

दिनांक 27 अगस्त 2016

अल्प कालिक निविदा / कोटेशन सूचना

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। कि 14 वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त धनराशि से नगर पंचायत रामपुर कारखाना देवरिया में निर्माण कार्य व विभिन्न सामग्री की आपूर्ति हेतु नगर पालिका परिषद/लो०नि०वि०/आर० ई० एस०/जिला पंचायत के पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से जो वर्ष 2016-17 के पंजीकृत एवं नवीनीकृत हों, ठेकेदार/पंजीकृत फर्मों से दिनांक 07-09-2016 को दिन में 2.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा/कोटेशन जिलाधिकारी देवरिया के एल०बी०सी०/टी०ए०सी० पटल पर आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) के कक्ष में उपस्थित निविदादाताओं/कोटेशनदाताओं के समक्ष अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र जिलाधिकारी कार्यालय के टी०ए०सी०/एल०बी०सी० पटल/कार्यालय नगर पंचायत रामपुर कारखाना से निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 06-09-2016 को समय 11.00 बजे से सांय 2.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। इस विज्ञापन को बेवसाइट www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

क्र. सं.	प्रस्तावित आपूर्ति/कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	जमानत धराशि	निविदा/कोटेशन पत्र शुल्क	कार्य अवधि
1	3	4	5	6	7
1	इण्डिया मार्का (द्वितीय) हैडपम्प का स्थापन कार्य (4 अदद)	-	10000.00	200.00	एक माह
2	वैकहो लोडर (76 H.P./ 6 in 1 bucket)	-	60000.00	3000.00	20 दिन
3	खुर्शेद लोहिया की दुकान से एम०एम० आलम के घर के बगल से होते हुये वालेश्वर तिवारी के घर तक नाली निर्माण कार्य।	413700.00	40000.00	400.00	एक माह
4	फागिंग मशीन सिंगल वैरल(होण्डा जनरेटर के साथ थ्री-व्हीलर रिकशा)	-	40000.00	400.00	20 दिन

- 1- निविदा दाता/कोटेशनदाता को जमानत की धनराशि निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें किसान विकास पत्र, एन०एस०सी०./एफ०डी०आर०/टी०डी०आर० जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना के पदनाम से प्लेज हो, जमा करना होगा।
- 2- कार्य सं०-02 में कम्पनी द्वारा अधिकृत डीलर ही हिस्सा ले सकते है।
- 3- एक या समस्त निविदाओं/कोटेशनों को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी/अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।
- 4- निविदादाता/कोटेशन दाता को अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी देवरिया से प्राप्त अद्यतन अपना चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र तथा पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5- निविदा/कोटेशन स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को नियमानुसार कार्य सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार अपने व्यय से कोषागार से स्टाम्प क्रय कर अनुबन्ध/एकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।
- 6- ठेकेदार को निर्माण कार्य/आपूर्ति नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा, अन्यथा 100-00 रूपये प्रति हजार प्रति दिन की दर से ठेकेदार को विलम्ब शुल्क देना होगा, अर्थात ठेकेदार के बिल से उक्त विलम्ब शुल्क/जुर्माना की धनराशि काट ली जायेगी।
- 7- 100-00 (एक सौ रूपये) के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र तैयार कर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपना पासपोर्ट साईज का फोटो प्रमाणित करा कर निविदा/कोटेशन प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

- 9- निविदा/कोटेशन के समय विवाद की दशा में अध्यक्ष नगर पंचायत रामपुर कारखाना का ही निर्णय मान्य होगा।
 9- किसी भी फर्म/निविदादाता/कोटेशनदाता द्वारा या उसके सहयोगी द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान डालने जैसे अभद्रता, दुर्व्यवहार आदि करने पर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को काली सूची में करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना में अंकित कराया जायेगा।
- 10- ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अन्दर समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये कार्य/आपूर्ति करना होगा। अन्यथा ठेका निरस्त करते हुये जमानत धनराशि जब कर ली जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 11- कार्य में/आपूर्ति में घट बढ़ होने पर अलग से कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी।
- 12- शेष जानकारी किसी भी दिन कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- 13- संबंधित फर्मों/दुकानों/एजेन्सीओं द्वारा अपने फर्म/दुकान/एजेन्सी के लेटर पैड पर क्रय आपूर्ति का कोटेशन मुहर बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य होगा, अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 14- निविदा/कोटेशन सूचना देवरिया की वेबसाइट www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

अधिशारी अधिकारी,
 नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
 देवरिया।

अध्यक्ष,
 नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
 देवरिया।
 नगर पंचायत रामपुर कारखाना
 देवरिया

पत्रांक 164 (3)/दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
- 1- जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
 - 2- प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, देवरिया।
 - 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी देवरिया वेबसाइट www.deoria.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
 - 3- मा0 समस्त अधिशारी अधिशारी गण नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद देवरिया।
 - 4- नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
 - 5- सम्पादक 'हिन्दुस्तान' व 'स्वतंत्र चेतना' गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित की अपने समाचार पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अधिशारी अधिकारी,
 नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
 देवरिया।

राशिका
 अध्यक्ष,
 नगर पंचायत रामपुर कारखाना,
 देवरिया।
 नगर पंचायत रामपुर कारखाना
 देवरिया